



प्रेस विज्ञप्ति

02/09/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, प्रश्न-पत्र लीक और भ्रष्टाचार के संबंध में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 01.09.2026 को छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, धमतरी और जशपुर जिलों में स्थित पांच परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी द्वारा जांच की शुरुआत रायपुर स्थित आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), एसीबी, रायपुर द्वारा सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी तथा अन्य के विरुद्ध दर्ज 02 एफआईआर के आधार पर की गई थी। ये एफआईआर वर्ष 2020 और 2021 के दौरान आयोजित सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर कथित अनियमितताओं, हेरफेर और भ्रष्टाचार के संबंध में दर्ज की गई थीं।

जांच में पता चला कि सीजीपीएससी परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र आरोपियों के रिश्तेदारों तथा चयनित अभ्यर्थियों को निजी बिचौलियों के माध्यम से अवैध धनराशि के बदले लीक किए गए, जिसके परिणामस्वरूप डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सहित वरिष्ठ सार्वजनिक पदों पर फर्जी तरीके से चयन सुनिश्चित किया गया। आगे की जांच में पता चला कि उत्कर्ष चंद्राकर और डॉ. विकास चंद्राकर द्वारा सीजीपीएससी-2021 परीक्षा के लीक हुए प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों से नकद राशि एकत्र कर 3 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय उत्पन्न की गई, जिसमें से लगभग 2.80 करोड़ रुपये की राशि अनिल चंद्राकर को सौंप दी गई। उत्कर्ष चंद्राकर ने नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रभावित करने और उनसे धनराशि एकत्र करने के लिए छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री के तत्कालीन निजी सहायक तथा अपने मामा श्री के.के. चंद्रवंशी के नाम, पद और प्रभाव तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री के कार्यालय में तत्कालीन विशेष कार्य अधिकारी के पद का भी इस्तेमाल किया।

ईडी ने इससे पहले 03.06.2026 को इस मामले में तलाशी अभियान चलाया था और एकत्र किए गए साक्ष्यों, पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों, उसके मोबाइल फोन से प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों तथा उसके बैंक खातों के विवरणों के विश्लेषण के आधार पर यह स्थापित हुआ कि उत्कर्ष चंद्राकर जानबूझकर अपराध से अर्जित आय से संबंधित प्रक्रियाओं और गतिविधियों में संलिप्त था, जिसमें उसका सृजन, अर्जन, कब्जा, छिपाना, लेयरिंग, हस्तांतरण, उपयोग तथा उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना शामिल था। तदनुसार, उसे पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत 01.09.2026 को गिरफ्तार किया गया।

तलाशी के दौरान जांच से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, वित्तीय अभिलेख, संपत्ति संबंधी दस्तावेज तथा अन्य साक्ष्य जब्त किए गए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।